



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-20

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 255325 दिनांक 26/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kamlesh Kumar Sarsar S/o Jagdish Sarsar	श्री नलीन गुप्ता पुत्र श्री राजेश चन्द गुप्ता	12	414.62 SQ. YARD	Cooperative	POONAM VIHAR Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पूनम विहार के भूखण्ड संख्या 12 क्षेत्रफल 414.62 वर्ग गज की लीजडीड श्री नलीन गुप्ता पुत्र श्री राजेश चन्द गुप्ता के नाम से दिनांक 13.03.2002 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री नलीन गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड में से उत्तरी भाग क्षेत्रफल 133.33 वर्ग गज का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2010 के द्वारा श्री केदार मीणा पुत्र श्री रघुनाथ मीणा को कर दिया गया। तत्पश्चात श्री केदार मीणा द्वारा



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उत्तरी भाग
क्षेत्रफल 133.33
वर्ग गज का
बेचान जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
24.06.2010 के
द्वारा श्री कमलेश
कुमार सारसर पुत्र
श्री जगदीश प्रसाद
सारसर को कर
दिया गया।
आवेदक श्री
कमलेश कुमार
सारसर द्वारा
उक्त भूखण्ड का
नाम हस्तान्तरण
एवं उपविभाजन
हेतु आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kamlesh Kumar Sarsar S/o Jagdish Sarsar को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।